

05<sup>01</sup>/<sub>28</sub> आज यह पत्रावली वाला अधिका  
 प्रा. पत्र 074 ॥ CPE हेतु पेय  
 ड्यो। वरुणाप कारिका उप। एम  
 पत्रावली का माध्यम मियु गप्य तथा  
 वरुणाप की बहाल पर मनन मिया  
 गपा। प्रहिकादी का प्रथम पत्र 02  
 नियम ॥ लव संपादि छाप 15। जादी  
 स्वीकार मिया जात है। वादीगण दाय  
 विवादित अफजि नं 1493 2000 0.45  
 हेतु लोक शास वरुणाप तहलील - एम्पुड  
 बाकर दावा खाति मियु जात है।  
 विज्जत नियम अलग से लिखि मुम्ब  
 शांति ० मियु गप्य। पत्रावली मन्त  
 धुगाए होकर नम्र से कर ही काय  
 प्रा. दारले दफ्तर है।

उपस्थित अधिकारी  
 बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला-कोटपूतली-बहरोड़

(पीठासीन अधिकारी - रामकिशोर मीना अवर एएस)

ऑन लाईन वाद संख्या :- 2025 / 291

मैनवल वाद संख्या :- 70 / 2025

दर्ज तिथि :- 20.05.2025

### उनवान

1. मदनलाल पुत्र भूरा जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।
2. सोमदत्त पुत्र भूरा जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।
3. रामकिशन पुत्र भूरा जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।

.....वादी

### बनाम

- 1- अजीत पुत्र महावीर जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।
- 2- चन्द्रकान्त पुत्र महावीर जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।
- 3- राजेन्द्र पुत्र महावीर जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।
- 4- रामादेवी पुत्री महावीर जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़ हाल पत्नी हरिकिशन निवासी जागूवास तहसील बहरोड़।
- 5- सुनीता पुत्री महावीर जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़ हाल पत्नी राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम जालपिवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा।
- 6- तहसीलदार बहरोड़ जरिये लैण्डहोल्डर बहरोड़।
- 7- उप पंजीयक बहरोड़।
- 8- संतोष पुत्री भूरा जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।
- 9- गीता पुत्री भूरा जाति ब्राहमण निवासी बर्डीद तहसील बहरोड़।
- 10- ललता पत्नी विजेन्द्र पुत्र शान्ति देवी जाति ब्राहमण निवासी जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज.
- 11- प्रदीप पुत्र विजेन्द्र पुत्र शान्ति देवी जाति ब्राहमण निवासी जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज.
- 12- विकास पुत्र विजेन्द्र पुत्र शान्ति देवी जाति ब्राहमण निवासी जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज.
- 13- रेणु पुत्री विजेन्द्र पुत्र शान्ति देवी जाति ब्राहमण निवासी जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज.
- 14- अनु पुत्री विजेन्द्र पुत्र शान्ति देवी जाति ब्राहमण निवासी जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज.
- 15- हंसराज पुत्र विजेन्द्र पुत्र शान्ति देवी जाति ब्राहमण निवासी जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज.
- 16- राजू पुत्र शान्ति देवी जाति ब्राहमण निवासी जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज.

.....असल प्रतिवादीगण

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रार्थी :- श्री अनिल कुमार यादव

वादी/अप्रार्थी :- श्री संदीप दीक्षित व जितेन्द्र कुमार शर्मा

प्रार्थना पत्र :- आदेश-07 नियम-11 एवं सपठित धारा 151 जा.दी.

सिविल प्रक्रिया संहिता-1908

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:- 05/01/26

आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. के अन्तर्गत बाबत निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत दावा बाबत घोषणात्मक दुरुस्ती इन्द्राजात एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत हाजा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित खातेदारी साबिक खसरा नम्बर 1150 मिन रकबा 2 बिघा 07 बिसवा जिसके हाल आराजी खसरा संख्या 1499 रकबा 0.45 हैक्ट0 वाके ग्राम बर्डीद है। जिसका साबिक राजस्व राजस्व रिकार्ड निरस्त किया जाकर इस आशय की घोषणा व दुरुस्ती की डिक्री पारित की जाये कि विवादित आराजी मुतक भूरा को आवंटित हुयी थी, जिस कारण बतौर जायज वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 16 एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

संख्या 01 लगायत 06 का संभाग 1/7 हिस्सा होने के कारण उनके हिस्से अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर इस आशय का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 06 को पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र की नकल वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता को दी गई। वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। स्वीकार नहीं है। भूरा पुत्र रामजीलाल का आराजी साबिक खसरा नम्बर 1150 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमिहीन हाने होने कारण आवंटित हुई थी। एवं उनके नाम का आवंटन के बाद गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ जो सम्वंत 2023 की खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है। सैटलमेन्ट के द्वारा कुल 2 बीघसा 7 बिस्वा भूमि में से मात्र 3 बिस्वा भूमि का अंकन भूरा पुत्र रामजीलाल के नाम दर्ज कर दिया एवं 2 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 लगायत 5 के पिता के नाम दर्ज कर दिया। जिसकी दुरुस्ती हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। मन वादी को जैसे ही राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राजात की जानकारी हुई अविलम्ब यह वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त वाद पत्र पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रस्तुत वाद पत्र सैटलमेन्ट द्वारा किये गये गलत इन्द्राजात को दुरुस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस असल पट्टा व कब्जा बाबत असल फर्द तहसीलदार बहरोड की पेश किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थी/प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया कि वादीगण द्वारा यह वाद वाद पत्र सैटलमेन्ट में हुयी गलती को दुरुस्त करने हेतु घोषणा का दावा किया गया है। साथ ही घोषणा का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालय को है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं है एवं दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को ही है। प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारिज किया जावे।

प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:—**

(a) where it does not disclose a cause of action;  
(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

(e) where it is not filed in duplicate;

(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9. Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the

उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)

is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:-

While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

*The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.*

सर्वप्रथम प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9159/2003 उनवान M/S. Kusum Ingots & Alloys Ltd vs Union Of India And Anr में दिनांक 28.04.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

**Cause of Action:**

*Cause of action implies a right to sue. The material facts which are imperative for the suitor to allege and prove constitutes the cause of action. Cause of action is not defined in any statute. It has, however, been judicially interpreted inter alia to mean that every fact which would be necessary for the plaintiff to prove, if traversed, in order to support his right to the judgment of the Court. Negatively put, it would mean that everything which, if not proved, gives the defendant an immediate right to judgment, would be part of cause of action. Its importance is beyond any doubt. For every action, there has to be a cause of action, if not, the plaint or the writ petition, as the case may be, shall be rejected summarily.*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9159/2003 उनवान Swamy Atmananda & Ors vs Sri Ramakrishna Tapovanam & Ors में दिनांक 13.04.2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

*In Stroud's Judicial Dictionary a cause of action is stated to be the entire set of facts that give rise to an enforceable claim; the phrase comprises every fact which, if traversed, the plaintiff must prove in order to obtain judgment.*

*A cause of action, thus, means every fact, which, if traversed, it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to a judgment of the Court. In other words, it is a bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff a right to relief against the defendant. It must include some act done by the defendant since in the absence of such an act no cause of action can possibly accrue. It is not limited to the actual infringement of the right sued on but includes all the material facts on which it is founded.*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

*The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to*

see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.

The plea clearly overlooks the basic distinction between statements of the facts disclosing cause of action and the reliefs sought for. The reliefs claimed do not constitute the cause of action. On the contrary, they constitute the entitlement, if any, on the basis of pleaded facts. As indicated above, Order VI Rule 2 requires that pleadings shall contain and contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim. If the plea of Mr. Savant, learned counsel for the respondent-trust is accepted the distinction between the statement of material facts and the reliance on them for the claim shall be obliterated. What is required in law is not the piecemeal reading of the plaint but in its entirety. Whether the reliefs would be granted on the pleaded facts and the evidence adduced is totally different from the relief claimed. All the reliefs claimed may not be allowed to a party on the pleadings and the evidence adduced. Whether part of the relief cannot be granted by the Civil Court is a different matter from saying that because of a combined claim of reliefs the jurisdiction is ousted or no cause of action is disclosed. Considering the reliefs claimed vis-a-vis the pleadings would not mean compartmentalization or segregation, in that sense.

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Central Government Employees vs Consolidated Civil Construction Ltd में दिनांक 24.01.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

149. In *D. Ramachandran v. R.V. Janakiraman*<sup>64</sup> it has been held that the court cannot dissect the pleading into several parts and consider whether each one of them discloses a cause of action.

150. In ascertaining whether the plaint shows a cause of action, the court is not required to make an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or fact. By the statute the jurisdiction of the court is restricted to ascertaining whether on the allegations a cause of action is shown. In *Vijai Pratap Singh v. Dukh Haran Nath Singh*<sup>67</sup> this Court held: (AIR pp. 943-44, para 9) By the express terms of Rule 5 clause (d), the court is concerned to ascertain whether the allegations made in the petition show a cause of action. The court has not to see whether the claim made by the petitioner is likely to succeed: it has merely to satisfy itself that the allegations made in the petition, if accepted as true, would entitle the petitioner to the relief he claims. If accepting those allegations as true no case is made out for granting relief no cause of action would be shown and the petition must be rejected. But in ascertaining whether the petition shows a cause of action the court does not enter upon a trial of the issues affecting the merits of the claim made by the petitioner. It cannot take into consideration the defences which the defendant may raise upon the merits; nor is the court competent to make an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or fact. If the allegations in the petition, prima facie, show a cause of action, the court cannot embark upon an enquiry whether the allegations are true in fact, or whether the petitioner will succeed in the claims made by him.

151. So long as the claim discloses some cause of action or raises some questions fit to be decided by a judge, the mere fact that the case is weak and not likely to succeed is no ground for striking it out. The purported failure of the pleadings to disclose a cause of action is distinct from the absence of full particulars. (See *Mohan Rawale*<sup>63</sup>.)

152. The reason for the aforementioned conclusion is that if a legal question is raised by the defendant in the written statement, it does not mean that the same has to be decided only by way of an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure which may amount to prejudging the matter.

153. Thus, in terms of law laid down by the Hon'ble Supreme Court, the cause of action is a bundle of facts, which is required to be pleaded and proved for the purposes of obtaining the relief sought for and the Court would be empowered to reject the plaint on the failure of the plaintiff to disclose a cause of action, but the same would not mean that the averments made in the plaint or the document, which have to be relied on, although discloses a cause of action, plaint could be rejected on the ground that it is not sufficient to prove the fact. Further, the Hon'ble Supreme Court also cautioned that the Court cannot dissect the pleadings into several parts and the Court should not embark upon an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or facts. Thus the test would be as long as the claim discloses, some cause of action or if it raises some questions, which is fit to be decided, even if the facts of the case reveals that the plaintiff may not succeed, is not a ground to strike down the plaint.

उपस्थंड अधिकारी  
मद्रास (कोटपुतली-मद्रास)

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन एवं मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1150 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.45 वाके ग्राम बर्डौद बनाये गये है। आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 03 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत् 2036 में भूरा पुत्र रामजीला ब्राह्मण सा० देह गैर खातेदार दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा के जमाबन्दी संवत् 2036 में महावीर प्रसाद पुत्र भूराराम ब्राह्मण सा० देह खातेदार दर्ज है। स्वीकृत नामान्तकरण दिनांक 29.09.1974 भूरा पुत्र रामजीलाल ब्राह्मण को 3 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि तहसीलदार बहरोड से जारी आलोटमेंट पट्टा के मुताबिक महावीर प्रसाद पुत्र भूराराम निवासी बर्डौद को आवंटित की गई जिसकी फीस पट्टा जरिये चालान नम्बर 400 दिनांक 16.06.1988 से जमा राजकोष की गई है। जिसके उपरान्त महावीर प्रसाद पुत्र भूरा को राजस्व टीम के द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया। वादी द्वारा वाद पत्र 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि की खातेदारी बाबत वाद पत्र पेश किया है। चुकी विवादित आराजी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग महावीर पुत्र भूरा को तहसीलदार बहरोड द्वारा आवंटित की गई है। उक्त दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दस्तावेजात हैं जो तीस वर्ष पुराने दस्तावेज है। जिनको कानून में सत्यता कि अवधारणा है। महावीर के उपरान्त वर्तमान में आराजी उनके वारिसान की खातेदारी में दर्ज है। जिस सूरत में वादीगण को कोई वाद करण पैदा नहीं होता है। ना ही उनको किसी प्रकार का विधिक अधिकार पैदा होते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के स्वीकार योग्य पाया जाता है। प्रतिवादीगण के बुजुर्ग महावीर प्रसाद पुत्र भूरा को भूमि आवंटित होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित है।

-: आदेश :-

सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रार्थी/प्रतिवादी राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.45 है० वाके ग्राम बर्डौद तहसील बहरोड बाबत दावा खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 05/01/26 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(रामकिशोर मीना आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड (कोटपूतली बहरोड)